जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर
20/2016

प्रकरण सं0 20/2016 अनवानी श्री टेक सिंह पुत्र कौर सिंह जाति जटसिख निवासी 28 जीजी जोधेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर बनाम 1–करनेल कौर पत्नि गुरदित सिंह जाति जटसिख साकिन 28 जीजी तहसील व जिला श्रीगंगानगर 2–गुरमेल सिंह 3–सरवेल सिंह 4–मेजरसिंह 5–बलराज सिंह 6–उपजिलाधीश, श्रीगंगानगर 7– बलदेवसिंह 8–गुरदेव सिंह 9–सुखदेवसिंह 10–हरचंदसिंह 11–सुखदेवकौर 12–जसपाल कौर 13–गुरदीपसिंह 14–कुलदीपसिंह

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

19.12.2016

प्रार्थी के अभिभाषक श्री सुखराज चारण के अधिकार पत्र पर श्री ओ.पी.बतरा अभिभाषक उपस्थित है। अप्रार्थी सं0 1 से 5, 11 से 13 के अभिभाषक श्री प्रदीप सिहाग उपस्थित है अप्रार्थी सं0 7 से 10 व 14 उपस्थित नही है। दोनो पक्षो के अभिभाषकगण की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी के अभिभाषक का कथन था कि प्रार्थी के नाम चक 28 जीजी के मु0न0 20 में 14.10 बीघा रकबा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें आने जाने के लिए इसी चक के मु0न0 19 के कि0न0 15, 16, 25 में रास्ता चला आ रहा है जिसे मन्जूर करवाने के लिए उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के न्यायालय में प्रा0 पत्र संख्या 257/2015 अनवानी करनैल कौर बनाम बलदेव सिंह आदि पेश किया हुआ है जिसमें तहसीलदार, श्रीगंगानगर ने भी उक्त रास्ता चालू होना बताया है एवं रास्ता स्वीकृत करने की भी सिफारिश की है। इसी बीच अप्रार्थीयान की तरफ से भी एक प्रा0 पत्र, प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के बाद प्रार्थी की भूमि मु0न0 20 के कि0न0 1, 10, 11, 20, 21 में से रास्ता मन्जूर करवाने के लिए पेश किया गया है जबकि प्रार्थी की भूमि में से कभी भी रास्ता नही चला है और न ही पीछे से कोई रास्ता आ रहा है बल्कि पीछे से मु0न0 26 के कि0न0 5, 6, 15, 16, 25 में मन्जूर शुदा रास्ता है और आगे सीधा मु0न0 19 के कि0न0 5, 6, 15, 16, 25 में रास्ता मन्जूर होने से सभी काश्तकारान को लाभ होगा। इसलिए उसका रास्ता स्वीकृति संबंधी प्रा0 पत्र स्वीकार किया जाना चाहिए।

उनका आगे कथन था कि अप्रार्थीगण करनेल कौर एवं सुखदेव कौर दोनो ही, विधायक गुरजन्ट सिंह विधान सभा सुादलशहर के नजदीकी रिश्तेदार है और उनका, पीठासीन अधिकारी पर राजनैतिक दबाब है। पीठासीन अधिकार राजनैतिक दबाब की वजह से सही न्याय नही करके जान बूझकर प्रार्थी की भूमि में से रास्ता देना चाहते है और अप्रार्थीगण भी ऐलानिया कह रहे है कि विधायक उनका रिश्तेदार है और उन्होने पीठासीन अधिकारी पर दबाव डलवा रखा है जिससे प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने की कोई उम्मीद नही है। इसलिए मुकदमा अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे।

प्रार्थी के अभिभाषक द्वारा आरआरटी 2002(2) पेज 878 रामलाल सिंह बनाम मूला का उद्धरण देते हुए कथन था कि चूंकि प्रार्थी को पूर्ण आशंका है कि पीठासीन अधिकारी पर राजनैतिक दबाब के कारण उसे न्याय नही मिलेगा। इसलिए उक्त प्रकरण को सुनवाई एवं निस्तारण के लिए अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

P.T.O.

इसके विपरीत अप्रार्थीगण के अभिभाषक का कथन था कि अधीनस्थ न्यायालय में लंबित प्रकरण का इस न्यायालय में गुण दोष के आधार पर कोई निर्णय नही किया जाना है केवलमात्र इस बिन्दु पर निर्णय किया जाना है कि अधीनस्थ न्यायालय में लंबित प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे या न किया जावे? प्रार्थी द्वारा पीठासीन अधिकारी पर जो राजनैतिक दबाब का आरोप लगाया है, वह आरोप एक साधारण प्रकृति का है, ऐसा आरोप कभी भी, किसी भी समय, किसी पर लगाया जा सकता है जो मुकदमा मुन्तकिली का कोई ठोस आधार नही बनाता है। उनका आगे कथन था कि अप्रार्थीगण को भी अपनी भूमि में आने जाने के लिए रास्ता की आवश्यकता है। इसलिए इनके द्वारा भी रास्ता हेतु प्रा0 पत्र पेश किया गया है। प्रार्थी ने प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब करने की दृष्टि से ही यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र प्रस्तुत किया है जो खारिज किया जावे।

मैने दोनो पक्षो के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली व उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के प्रतिवेदन दिनांक 06.04.2016 का भी अवलोकन किया तो पाया कि उपखण्ड अधिकारी ने अपने उपर लगाये गये आरोपो को मनगढंत बताते हुए उनके न्यायालय में लंबित प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल करने में कोई आपति नही होना जाहिर किया है। इस न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालय में लंबित मूल रास्ता प्रकरण का गुण दोष के आधार पर निर्णय नही करना है केवलमात्र उक्त प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय से अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने अथवा न करने पर विचार किया जाना है। प्रार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष लंबित प्रकरण संख्या 257/2015 करनेल कौर बनाम बलदेवसिंह आदि को इस आधार पर मुन्तकिल किये जाने की प्रार्थना की गयी है कि पीठासीन अधिकारी पर राजनैतिक दबाब है इसलिए उसे न्याय न मिलने की आशंका है। पीठासीन अधिकारी पर लगाया गया उक्त आरोप साधारण प्रकृति का है, ऐसा आरोप कभी भी, किसी भी समय, किसी पर भी लगाया जा सकता है। मुकदमा मुन्तकिली के लिए कोई ठोस आधार होना आवश्यक है जिससे प्रथम दृष्टया यह प्रतीत हो कि अगर प्रकरण को मुन्तकिल नही किया गया तो प्रार्थी के साथ वास्तव में अन्याय होगा। जिसका इसमें पूर्णतया अभाव है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का मुन्तकिली प्रा0 पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 19.12.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर